

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-28032026-271389
SG-DL-E-28032026-271389

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| | | |
|---------|--|----------------------------|
| सं. 89] | दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 27, 2026/चैत्र 6, 1947 | [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 514 |
| No. 89] | DELHI, FRIDAY, MARCH 27, 2026/CHAITRA 6, 1947 | [N. C. T. D. No. 514 |

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
अधिसूचना

दिल्ली, 27 मार्च, 2026

फा. सं. 21/12/Apprn.3/2026/LAS-VIII/Legn./19218— निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

दिल्ली विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2026
2026 की विधेयक संख्या 07
(जैसाकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में
दिनांक 27 मार्च, 2026 को पुरः स्थापित किया गया)

2026 की विधेयक संख्या 07

दिल्ली विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2026

वर्ष 2026–2027 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा राशि का विनियोजन करने के लिए एक विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त शीर्षक

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग (संख्या 3) अधिनियम 2026 हैं

₹1037,51,49,00,000/- का वर्ष 2026–2027 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए एक लाख तीन हजार सात सौ इक्यावन करोड़ उनचास लाख रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2026–2027 की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होंगीं

विनियोजन

3. इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगीं

अनुसूची

(धारा 2 और धारा 3 देखिए)

(₹ हजार में)

निम्नलिखित से अनाधिक राशियाँ

| अनुदान संख्या | सेवाएं और प्रयोजन | | विधान सभा द्वारा अनुदत्त | संचित निधि पर भारित | योग |
|---------------|---------------------|--------|--------------------------|---------------------|----------|
| I | II | | III | IV | V |
| 1 | विधान मंडल | राजस्व | 443600 | 18200 | 461800 |
| | | पूँजी | 43100 | 0 | 43100 |
| 2 | उप-राज्यपाल सचिवालय | राजस्व | 1000 | 284700 | 285700 |
| | | पूँजी | 0 | 12500 | 12500 |
| 3 | न्याय प्रशासन | राजस्व | 23573650 | 7773200 | 31346850 |
| | | पूँजी | 4934950 | 272000 | 5206950 |
| 4 | वित्त | राजस्व | 5196650 | 1100 | 5197750 |
| | | पूँजी | 560350 | 0 | 560350 |

| अनुदान संख्या | सेवाएं और प्रयोजन | | विधान सभा द्वारा अनुदत्त | संचित निधि पर भारित | योग |
|---------------|---------------------------|--------|--------------------------|---------------------|-----------|
| 5 | गृह | राजस्व | 12116300 | 9000 | 12125300 |
| | | पूँजी | 4503700 | 0 | 4503700 |
| 6 | शिक्षा | राजस्व | 178585290 | 52600 | 178637890 |
| | | पूँजी | 12849110 | 0 | 12849110 |
| 7 | चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य | राजस्व | 111926975 | 195675 | 112122650 |
| | | पूँजी | 14324050 | 0 | 14324050 |
| 8 | समाज कल्याण | राजस्व | 98832310 | 28090 | 98860400 |
| | | पूँजी | 1422900 | 0 | 1422900 |
| 9 | श्रम एवं रोजगार | राजस्व | 646350 | 300 | 646650 |
| | | पूँजी | 17650 | 0 | 17650 |
| 10 | राजस्व | राजस्व | 41243874 | 2250 | 41246124 |
| | | पूँजी | 2198945 | 0 | 2198945 |
| 11 | शहरी विकास | राजस्व | 88012475 | 700 | 88013175 |
| | | पूँजी | 80855925 | 0 | 80855925 |
| 12 | सामान्य प्रशासन | राजस्व | 3616306 | 500 | 3616806 |
| | | पूँजी | 83500 | 0 | 83500 |
| 13 | सेवाएँ | राजस्व | 278900 | 0 | 278900 |
| | | पूँजी | 30200 | 0 | 30200 |
| 14 | प्रशासनिक सुधार | राजस्व | 394370 | 64800 | 459170 |
| | | पूँजी | 11530 | 8200 | 19730 |
| 15 | सतर्कता | राजस्व | 184100 | 0 | 184100 |
| | | पूँजी | 6000 | 0 | 6000 |
| 16 | सूचना एवं प्रसारण | राजस्व | 1297400 | 0 | 1297400 |
| | | पूँजी | 3400 | 0 | 3400 |
| 17 | चयन बोर्ड | राजस्व | 1711750 | 250 | 1712000 |
| | | पूँजी | 6500 | 0 | 6500 |
| 18 | चुनाव | राजस्व | 371700 | 10000 | 381700 |
| | | पूँजी | 270500 | 0 | 270500 |
| 19 | योजना | राजस्व | 676050 | 0 | 676050 |
| | | पूँजी | 44941050 | 0 | 44941050 |
| 20 | सूचना तकनीकी | राजस्व | 711100 | 0 | 711100 |
| | | पूँजी | 41000 | 0 | 41000 |
| 21 | कला, संस्कृति एवं भाषा | राजस्व | 1657900 | 100 | 1658000 |
| | | पूँजी | 79700 | 0 | 79700 |
| 22 | परिवहन | राजस्व | 45739900 | 500 | 45740400 |
| | | पूँजी | 38001600 | 0 | 38001600 |
| 23 | उद्योग | राजस्व | 901800 | 0 | 901800 |
| | | पूँजी | 2084800 | 0 | 2084800 |
| 24 | पर्यटन | राजस्व | 1022900 | 0 | 1022900 |
| | | पूँजी | 3100000 | 0 | 3100000 |
| 25 | नागरिक आपूर्ति | राजस्व | 5697495 | 5 | 5697500 |
| | | पूँजी | 103500 | 0 | 103500 |
| 26 | विकास | राजस्व | 1255228 | 222 | 1255450 |
| | | पूँजी | 8362650 | 0 | 8362650 |
| 27 | सहकारिता | राजस्व | 263600 | 0 | 263600 |
| | | पूँजी | 24625 | 0 | 24625 |

| अनुदान संख्या | सेवाएं और प्रयोजन | | विधान सभा द्वारा अनुदत्त | संचित निधि पर भारित | योग |
|---------------|-------------------|--------|--------------------------|---------------------|-------------------|
| 28 | सिंचाई एवं बाढ़ | राजस्व | 2845500 | 0 | 2845500 |
| | | पूँजी | 3256000 | 0 | 3256000 |
| 29 | पर्यावरण एवं वन | राजस्व | 6995780 | 870 | 6996650 |
| | | पूँजी | 1617550 | 0 | 1617550 |
| 30 | लोक निर्माण | राजस्व | 21162400 | 0 | 21162400 |
| | | पूँजी | 38054600 | 0 | 38054600 |
| 31 | भूमि एवं भवन | राजस्व | 220700 | 300 | 221000 |
| | | पूँजी | 14700 | 0 | 14700 |
| 32 | ऊर्जा | राजस्व | 36072900 | 0 | 36072900 |
| | | पूँजी | 3350400 | 0 | 3350400 |
| 33 | ऋण | पूँजी | 13000 | 0 | 13000 |
| 34 | पेंशन | राजस्व | 75100 | 0 | 75100 |
| 35 | सार्वजनिक ऋण | राजस्व | 0 | 27342942 | 27342942 |
| | | पूँजी | 0 | 42537058 | 42537058 |
| | कुल | | 958898838 | 78616062 | 1037514900 |

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 (1992 का 1) की धारा 29 की उपधारा (1) में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा पारित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि पर भारित व स्वीकृत व्यय को वहन करने के लिए आवश्यक धन राशि के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से विनियोजन की व्यवस्था के लिए दिल्ली विनियोग अधिनियम 2026, विधेयक प्रस्तुत किया जाता है

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है

रेखा गुप्ता, वित्त मंत्री

दिल्ली

23 मार्च, 2026

विधायी शक्ति प्रदान करने संबंधी ज्ञापन

दिल्ली विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2026 का उद्देश्य किसी अधीनस्थ अधिकारी को अतिरिक्त विधायी शक्ति प्रदान करना नहीं है।

रंजीत सिंह, सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT**NOTIFICATION**

Delhi, the 27th March, 2026

F. No. 21/12/Apprn.3/2026/LAS-VIII/Legn./19218.— The following is published for general information:-

THE DELHI APPROPRIATION (No. 3) BILL, 2026

BILL No. 07 OF 2026

(As introduced in the Legislative Assembly of the

National capital Territory of Delhi on 27th March, 2026)

BILL No. 07 OF 2026

THE DELHI APPROPRIATION (No. 3) BILL, 2026

A

BILL

to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the financial year 2026-2027.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Seventy-Seventh Year of the Republic of India as follows:-

- | | | |
|---|----|--|
| Short title. | 1. | This Act may be called the Delhi Appropriation (No. 3) Act, 2026. |
| Issue of ₹ 1037,51,49,00,000/- from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year 2026- 2027. | 2. | From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (5) of the Schedule, amounting in the aggregate to the sum of Rupees one lakh three thousand seven hundred fifty one crore forty nine lakh only towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2026-2027 in respect of the services specified in column (2) of the Schedule. |
| Appropriation. | 3. | The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year. |

THE SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

(₹ In thousand)**SUMS NOT EXCEEDING**

| Demand No. | Services and Purposes | | Voted by the Legislative Assembly | Charged on the Consolidated Fund | Total |
|-------------------|------------------------------|---------|--|---|--------------|
| I | II | | III | IV | V |
| 1 | Legislative Assembly | Revenue | 443600 | 18200 | 461800 |
| | | Capital | 43100 | 0 | 43100 |
| 2 | Lt. Governor's Secretariat | Revenue | 1000 | 284700 | 285700 |
| | | Capital | 0 | 12500 | 12500 |
| 3 | Administration of Justice | Revenue | 23573650 | 7773200 | 31346850 |
| | | Capital | 4934950 | 272000 | 5206950 |
| 4 | Finance | Revenue | 5196650 | 1100 | 5197750 |
| | | Capital | 560350 | 0 | 560350 |
| 5 | Home | Revenue | 12116300 | 9000 | 12125300 |
| | | Capital | 4503700 | 0 | 4503700 |
| 6 | Education | Revenue | 178585290 | 52600 | 178637890 |
| | | Capital | 12849110 | 0 | 12849110 |
| 7 | Medical & Public Health | Revenue | 111926975 | 195675 | 112122650 |
| | | Capital | 14324050 | 0 | 14324050 |
| 8 | Social Welfare | Revenue | 98832310 | 28090 | 98860400 |
| | | Capital | 1422900 | 0 | 1422900 |
| 9 | Labour & Employment | Revenue | 646350 | 300 | 646650 |
| | | Capital | 17650 | 0 | 17650 |
| 10 | Revenue | Revenue | 41243874 | 2250 | 41246124 |
| | | Capital | 2198945 | 0 | 2198945 |
| 11 | Urban Development | Revenue | 88012475 | 700 | 88013175 |
| | | Capital | 80855925 | 0 | 80855925 |

(₹ In thousand)

SUMS NOT EXCEEDING

| Demand No. | Services and Purposes | | Voted by the Legislative Assembly | Charged on the Consolidated Fund | Total |
|------------|-------------------------|---------|-----------------------------------|----------------------------------|----------|
| 12 | General Administration | Revenue | 3616306 | 500 | 3616806 |
| | | Capital | 83500 | 0 | 83500 |
| 13 | Services | Revenue | 278900 | 0 | 278900 |
| | | Capital | 30200 | 0 | 30200 |
| 14 | Administrative Reforms | Revenue | 394370 | 64800 | 459170 |
| | | Capital | 11530 | 8200 | 19730 |
| 15 | Vigilance | Revenue | 184100 | 0 | 184100 |
| | | Capital | 6000 | 0 | 6000 |
| 16 | Information & Publicity | Revenue | 1297400 | 0 | 1297400 |
| | | Capital | 3400 | 0 | 3400 |
| 17 | Selection Board | Revenue | 1711750 | 250 | 1712000 |
| | | Capital | 6500 | 0 | 6500 |
| 18 | Election | Revenue | 371700 | 10000 | 381700 |
| | | Capital | 270500 | 0 | 270500 |
| 19 | Planning | Revenue | 676050 | 0 | 676050 |
| | | Capital | 44941050 | 0 | 44941050 |
| 20 | Information Technology | Revenue | 711100 | 0 | 711100 |
| | | Capital | 41000 | 0 | 41000 |
| 21 | Art, Culture & Language | Revenue | 1657900 | 100 | 1658000 |
| | | Capital | 79700 | 0 | 79700 |
| 22 | Transport | Revenue | 45739900 | 500 | 45740400 |
| | | Capital | 38001600 | 0 | 38001600 |
| 23 | Industries | Revenue | 901800 | 0 | 901800 |
| | | Capital | 2084800 | 0 | 2084800 |

(₹ In thousand)

SUMS NOT EXCEEDING

| Demand No. | Services and Purposes | | Voted by the Legislative Assembly | Charged on the Consolidated Fund | Total |
|------------|-----------------------|---------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 24 | Tourism | Revenue | 1022900 | 0 | 1022900 |
| | | Capital | 3100000 | 0 | 3100000 |
| 25 | Civil Supplies | Revenue | 5697495 | 5 | 5697500 |
| | | Capital | 103500 | 0 | 103500 |
| 26 | Development | Revenue | 1255228 | 222 | 1255450 |
| | | Capital | 8362650 | 0 | 8362650 |
| 27 | Cooperative | Revenue | 263600 | 0 | 263600 |
| | | Capital | 24625 | 0 | 24625 |
| 28 | Irrigation & Flood | Revenue | 2845500 | 0 | 2845500 |
| | | Capital | 3256000 | 0 | 3256000 |
| 29 | Environment & Forest | Revenue | 6995780 | 870 | 6996650 |
| | | Capital | 1617550 | 0 | 1617550 |
| 30 | Public Works | Revenue | 21162400 | 0 | 21162400 |
| | | Capital | 38054600 | 0 | 38054600 |
| 31 | Land & Building | Revenue | 220700 | 300 | 221000 |
| | | Capital | 14700 | 0 | 14700 |
| 32 | Power | Revenue | 36072900 | 0 | 36072900 |
| | | Capital | 3350400 | 0 | 3350400 |
| 33 | Loans | Capital | 13000 | 0 | 13000 |
| 34 | Pensions | Revenue | 75100 | 0 | 75100 |
| 35 | Public Debt | Revenue | 0 | 27342942 | 27342942 |
| | | Capital | 0 | 42537058 | 42537058 |
| | Total | | 958898838 | 78616062 | 1037514900 |

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Delhi Appropriation (No. 3) Bill, 2026 is introduced in pursuance of sub-section (1) of section 29 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (1 of 1992) to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, of the moneys required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and the grants voted by the Legislative Assembly for the expenditure of Government of National Capital Territory of Delhi for the financial year 2026-2027.

This bill seeks to achieve the above objectives.

REKHA GUPTA, Finance Minister

Delhi

23rd March, 2026

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The Delhi Appropriation (No. 3) Bill, 2026 does not seek to confer any additional power of legislation on any subordinate functionaries.

RANJEET SINGH, Secy.